

एन एच पी सी लिमिटेड
NHPC LIMITED
(भारत सरकार का नवरत्न उद्घम)
(A GOVT. OF INDIA NAVRATNA ENTERPRISE)



तीस्ता-V पावर स्टेशन
Teesta-V Power Station, Balatar
(LOCAL COMPETITIVE BIDDING RESERVED FOR PAFs AND LOCALS OF TEESTA-V POWER STATION)

निविदा प्रपत्र
TENDER DOCUMENT

कार्य का नाम :

Package-2: Construction of Boundary Wall along the river side at Left Bank of Teesta-V PS, Balatar (From RD 590.00m to RD 1129.00m, starting from the Kendriya Vidyalaya extending in front of the Central Store).

Name of Work :

Package-2: Construction of Boundary Wall along the river side at Left Bank of Teesta-V PS, Balatar (From RD 590.00m to RD 1129.00m, starting from the Kendriya Vidyalaya extending in front of the Central Store).

अनुमानित लागत :

Rs. 95,73,034/-

Estimated Cost:

Rs. 95,73,034/-

धरोहर राशि :

Rs. 1,91,000/-

Earnest Money:

Rs. 1,91,000/-

कार्य पूरा करने की अवधि:

06 Months

Completion Time:

06 Months

(This document is meant for exclusive purpose of bidding against this specification and shall not be transferred, reproduced or otherwise used for purposes other than that for which it is specifically issued)

ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of Contractor

टिप्पणीइस निविदा प्रपत्र में कानूनी विवरण के प्रयोजन से अँग्रेजी रूपांतरण विधिमान्य होगा। :

Note: For legal interpretation English version shall hold good in this tender document.

अनुभाग-I Section-I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना NOTICE INVITING E-TENDER

तीस्ता-V पावर स्टेशन के परियोजना प्रभावित
परिवार /स्थानीय लोगों के लिए खुली निविदा

**LOCAL COMPETITIVE BIDDING
RESERVED
FOR
PAFs AND LOCALS
OF
TEESTA-V POWER STATION**



A Navaratna Company

एनएचपीसीलिमिटेड
NHPC LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम)
(A Govt. of India Enterprise)
तीस्ता V पावर स्टेशन
Teesta V Power Station
सिंगतम, पूर्वीसिक्किम- 737134
Singtam, East Sikkim- 737134...



IS/ISO 9001 IS/ISO 14001 IS 18001
आई एम एस प्रमाणित पावरस्टेशन
IMS certified Power Station
दूरभाष/Ph: 03592-247349
फैक्स/Fax: 03592-247227/349
Email: teestav-contract@nhpc.nic.in
CIN No. L40101HR1975GOI032564

NH/TSV/Cont/CC-364/NIT-1055/2025-26/338

Dated: 19/12/2025

खंड-1: ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

SECTION-1: NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

(तीस्ता-V पावर स्टेशन के परियोजना प्रभावित परिवार /स्थानीय लोगों के लिए खुली निविदा)
(Open Tender for PAF/Locals of Teesta-V PS)

(घरेलू खुली प्रतिस्पर्धी बोली) (Domestic Open Competitive Bidding)

- एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) की ओर से एकल पात्र बोलीदाताओं से "Package-2: Construction of Boundary Wall along the river side at Left Bank of Teesta-V PS, Balutar (From RD 590.00m to RD 1129.00m, starting from the Kendriya Vidyalaya extending in front of the Central Store)" आइटम दर" बोलियां एकल चरण दो भाग बोली आधार (यानी भाग- I (कवर- I): तकनीकी- बोली और भाग- II (कवर- II): वित्तीय बोली) में घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं।

Online "Item Rate/Percentage Rate" bids are invited through **Domestic Competitive Bidding in Single Stage -Two Part Bidding** Basis {i.e. Part-I (Cover-I): Technical- Bid and Part-II (Cover-II): Financial Bid} for and on behalf of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) from eligible **Sole Bidders** for the work of "Package-2: Construction of Boundary Wall along the river side at Left Bank of Teesta-V PS, Balutar (From RD 590.00m to RD 1129.00m, starting from the Kendriya Vidyalaya extending in front of the Central Store)"

A. निविदा का संक्षिप्त विवरण / Brief details of the tender:

क्रम संख्या / Sl. No.	मद / Item	विवरण / Description
i)	निविदा का तरीका / Mode of tendering	ईखरीद प्रणाली- / e-Procurement System
		कवर-I: ऑनलाइन टेक्नोकमर्शियल बोली- / Cover-I: Online Techno-Commercial Bid
		कवर-II: मूल्य बोली / Cover-II: Price Bid
ii)	निविदा आईटी सं. / Tender ID No.	2025_NHPC_890563_1

iii)	निविदा संदर्भ संख्या / Tender reference No.	NH/TSV/Cont/CC-364/NIT-1055/2025-26/338 Dated: 19/12/2025
iv)	बोली दस्तावेज़ की लागत / Cost of bid document	Rs.1180/- (including GST @18%) in the form of Crossed Demand Draft in favour of “ NHPC Limited ” payable at Singtam, East Sikkim .
v)	बोली सुरक्षा (ईएमडी) / Bid Security (EMD)	Rs. 1,91,000/- in the form of Crossed Draft/BG/ Insurance Surety Bond in favour of “ NHPC Limited ” payable at Singtam, East Sikkim . The firm is exempted from furnishing the EMD if registered as per ITB clause 13.2
vi)	बोली की वैधता की अवधि / Period of Bid Validity	120 days from dead line of online bid submission
vii)	अनुमानित लागत / Estimated Cost	Rs. 95,73,034/-
viii)	समापन अवधि / Completion Period	06 Months
ix)	निविदा आमंत्रण प्राधिकरण / Tender inviting Authority	Dy. General Manager (Electrical) Contract Division, Teesta-V Power Station, Balatar, Singtam, Distt: East Sikkim-737134 E-mail: teestav-contract@nhpc.nic.in
B. निविदा की महत्वपूर्ण तिथियां / Critical dates of tender:		
x)	प्रकाशन तिथि और समय / Publishing Date & Time	19/12/2025 at 15:00 Hrs
xi)	दस्तावेज़ डाउनलोड प्रारंभ दिनांक और समय / Document Download Start Date & Time	19/12/2025 at 15:00 Hrs
xii)	बोलीपूर्व बैठक की तिथि और - समय / Pre bid meeting Date & Time	Not required.
xiii)	बोली के स्पष्टीकरण की प्राप्ति की अंतिम तिथि / Last date of Receipt of clarification of Bid	31/12/2025 at 14:30 Hrs
xiv)	बोली प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि और समय / Bid Submission Start Date & Time	19/12/2025 at 15:00 Hrs
xv)	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय / Online Bid Submission Closing Date & Time	09/01/2026 at 17:30 Hrs

xvii)	ऑफलाइन सबमिशन समापन (पता, दिनांक और समय (/ Offline submission closing (address, date & time)	Address : Dy. General Manager (Electrical), Procurement & Contract Division, Teesta-V Power Station, Balutar, Singtam, Distt : East Sikkim-737134 12/01/2026 at 16:30 Hrs
xviii)	तकनीकी बोली -कवर) I) का ऑनलाइन बोली खोलना / Online Bid Opening of Technical Bid (Cover-I)	Venue: Contract Division, Teesta V Power Station, Balutar Date: 15.01.2026 Time: 16:00 Hours
xix)	मूल्य बोली खोलना -कवर) II) / Price bid Opening (Cover-II)	Venue- Procurement & Contract Division, Teesta-V Power Station, Date & time to be intimated later to the bidders whose Techno-commercial Bids will be found responsive
xx)	ईरिवर्स नीलामी शुरू होने - यदि) की तिथि और समय (लागू हो / Date & Time of Start of e-Reverse Auction (if applicable)	Not Applicable

1.1 संपूर्ण बोली दस्तावेज/निविदा दस्तावेज को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (CPP) पोर्टल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। साइट को NHPC वेबसाइट www.nhpcindia.com और CPP पोर्टल के ई-प्रोक्रोरमेंट कॉर्नर के माध्यम से भी देखा जा सकता है। कोई भी बोलीदाता जो इस निविदा के लिए बोली लगाना चाहता है, वह ई-टेंडरिंग के लिए ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण के बाद उपरोक्त पोर्टल से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकता है।

Complete Bid Document /Tender Document can be viewed and down loaded from Central Public Procurement (CPP) Portal <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. The site can also be viewed through e-procurement corner of NHPC website www.nhpcindia.com and CPP Portal. Any Bidder who wishes to quote for this Tender can download the Tender Document from aforesaid portal after online Bidder registration for e-tendering.

2. योग्य बोलीदाता / Eligible Bidders

2.1 यह बोली आमंत्रण निम्नलिखित के लिए खुला है / This Invitation for Bid is open to:

- वे बोलीदाता जो निगमित कानूनी इकाई हैं और कानूनी और वित्तीय रूप से स्वायत्त हैं तथा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के वाणिज्यिक कानून के तहत काम करते हैं। / The bidders who are incorporated legal entity and are legally and financially autonomous and operate under commercial law of their respective jurisdiction.
- सभी बोलीदाता जो खंड 3 में परिभाषित योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों। / All bidders meeting the Qualification criteria as defined in clause 3.
- बोलीदाता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा निर्गत संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) दिनांक 16.09.2020 या समय-समय पर संशोधित, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश-2017 के तहत श्रेणी-1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता होगा। बोलीदाताओं को दिए गए प्रारूप में स्थानीय सामग्री के संबंध में

उपक्रम/स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता को उस स्थान का विवरण भी देना होगा जहां स्थानीय मूल्यवर्धन किया गया है। सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) नीति (इसके नवीनतम संशोधनों/संशोधनों सहित) जो कि मूल्य बोली खोलने की तिथि पर प्रचलित हो सकती है, इस निविदा में लागू होगी। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) नीति को देखें। / Bidder shall be Class-I Local Supplier under Public Procurement (Preference to Make in India), Order-2017 issued by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry vide No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 16.09.2020 or as amended from time to time. Bidders shall submit undertaking/self-certificate regarding Local content in the format provided. Bidder shall also give details of the location(s) at which the local value addition is made.

Public Procurement (Preferences to Make in India) Policy (including its latest modifications / amendments) as may be prevailing on the date of Price Bid Opening shall be applicable against this tender. Bidders are requested to go through the Public Procurement (Preferences to Make in India) policy available on concerned ministry website.

- d) बोलीदाता को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा दिनांक 23.07.2020 को जारी “सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंध” और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों का पालन करना होगा। / Bidder shall comply with the provisions of “Restrictions under Rule 144(xi) of the General financial Rules (GFRs) 2017” issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance dated 23.07.2020 and subsequent amendments.
- e) ITB क्लॉज 3.2(I) के अनुसार बोलीदाता को परियोजना प्रभावित परिवार /स्थानीय इकाई की परिभाषा के तहत कवर किया जाना चाहिए। / The bidder must be covered under definition of PAF/ Local entity as per ITB clause 3.2(I).

2.2 बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करते समय सत्यनिष्ठा संधि के व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशा-निर्देशों (अनुलग्नक-ए) के पैरा 6 में उल्लिखित आधार पर व्यवसाय से प्रतिबंध / सूची से बाहर करना / काली सूची में डालना / निषिद्ध करना के लिए अयोग्यता की घोषणा के अधीन नहीं होना चाहिए और बोली प्रस्तुत करने के बाद निविदा दिए जाने तक किसी भी प्रतिबंध / सूची से बाहर करना / काली सूची में डालना / निषिद्ध करना के बारे में तुरंत सूचित करना चाहिए। इस संबंध में स्व-घोषणा संलग्न प्रोफार्म के अनुसार प्रस्तुत की जानी है (फॉर्म-6-, अनुभाग-III)। / Bidders shall not be under declaration of ineligibility for banning / delisting / blacklisting / debarment from business on the ground mentioned in para 6 of Guidelines on Banning of Business dealings (Annexure-A) to Integrity Pact at the time of submitting the bid and shall intimate immediately of any such banning / delisting / blacklisting / debarring after submission of bid till award of tender. Self-Declaration in this regard is to be submitted as per the enclosed Proforma (Forms-6-, Section-III).

2.3 जिन बोलीदाताओं का अनुबंध नियोक्ता द्वारा पूर्व में असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है, उन्हें अपात्रता अवधि पूरी होने तक बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। / The Bidders whose contract(s) have been terminated due to unsatisfactory performance by

employer in past, shall not be allowed to participate in the bidding process till completion of the ineligibility period.

2.4 निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार के लिए नियोक्ता सत्यानिष्ठा संधि को लागू कर रहा है। सभी संभावित बोलीदाताओं और नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित सत्यानिष्ठा समझौता, दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया में और अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी जबरदस्ती प्रथाओं का प्रयोग/द्वेषपूर्ण/धोखाधड़ी/प्राप्तनहीं करने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। केवल वे बोलीदाता जिन्होंने नियोक्ता के साथ सत्यानिष्ठा समझौता किया है, वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। सभी आवेदक अपनी बोलियां जमा करते समय नियोक्ता के साथ एक सत्यानिष्ठा समझौता सादे कागज पर करेंगे। (निष्पादित नियोक्ता की ओर से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सत्यानिष्ठा समझौता फॉर्म -7 खंड -III के रूप में प्रदान किया गया है। सत्यानिष्ठा समझौता आवेदक द्वारा डाउनलोड, मुद्रित और हस्ताक्षरित किया जाएगा और हार्ड कॉपी जमा की जाएगी। स्कैन की गई कॉपी ऑनलाइन और हार्ड कॉपी ऑफ लाइन जमा की जाएगी।

सफल बोलीदाता को उपयुक्त के गैरन्यागिक स्टाम्प प्रेपर पर विधिवत निष्पादित सत्यानिष्ठा समझौता प्रस्तुत करना होगा।

सत्यानिष्ठा संधि के तहत दायित्व के अनुपालन की नियारानी के लिए Dr. Vinod Aggarwal, Dr. Prabhash Singh, और Sh. Upendra Malik को नियोक्ता द्वारा स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के रूप में नियुक्त (आईईएम) किया गया है। आईईएम के संपर्क परे इस प्रकार हैं:

1. Dr. Vinod Aggarwal, B-103, Sarvodaya Enclave, 2 nd Floor, New Delhi 110017, e-mail: arsv50@gmail.com	2. Sh. Prabhash Singh, E7M702, Housing Board Colony, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh 462016, e-mail: srgmhrbpl@gmail.com	3. Sh. Upendra Malik, B-108, NSG Society, Plot 2, Pocket 6, Building Area Greater Noida 201315 (UP) Email: upendra.malik@gmail.com
---	--	---

To improve transparency and fairness in the tendering process the Employer is implementing Integrity Pact.

The Integrity Pact, signed by all the prospective Bidders and the Employer, shall commit the persons/officials of both the parties, not to exercise any corrupt/fraudulent/collusive/coercive practices in the Tendering process and also during implementation of the Contract. Only those Bidders who have entered into Integrity Pact with the Employer shall be eligible to participate in the bidding process.

All Applicants shall enter into an Integrity Pact (to be executed on plain paper) with the Employer at the time of submission of their Bids. The Integrity Pact digitally signed / signed on behalf of the Employer shall be as per Form-7 Section-III. The Integrity Pact shall be downloaded, printed and signed by the Applicant and to be submitted online.

Successful bidder shall submit duly executed Integrity pact on Non-Judicial Stamp paper of appropriate value prior to signing of Contract Agreement.

To oversee the compliance of obligation under the Integrity Pact, Dr. Vinod Aggarwal, Sh. Prabhash Singh and Sh. Upendra Malik has been appointed as Independent External Monitor (IEM) by the Employer. The Contact address of IEM is as under:

1. Dr. Vinod Aggarwal, B-103, Sarvodaya Enclave, 2 nd Floor, New Delhi-110017, e-mail: arsv50@gmail.com	2. Sh. Prabhash Singh, E7M702, Housing Board Colony, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh-462016, e- mail: srgmhrbpl@gmail.com	3. Sh. Upendra Malik, B-108, NSG Society, Plot-2, Pocket-6, Building Area Greater Noida 201315 (UP) Email: upendra.malik@gmail.com
---	--	--

3. बोली लगाने वाले की योग्यता / Qualification of the Bidder

3.1 सभी बोलीदाताओं को अपनी बोली के साथ योग्यता संबंधी जानकारी में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज शामिल करने होंगे, जब तक कि आईटीबी में अन्यथा न कहा गया हो / All bidders shall include the following information and documents with their bids in, Qualification Information unless otherwise stated in the ITB:

- a) संविधान या कानूनी स्थिति पंजीकरण का स्थान और व्यवसाय के मुख्य स्थान को परिभाषित करने वाले मूल दस्तावेजों की प्रतियां; बोली लगाने वाले को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्ता की लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर्म 1-सामान्य सूचना, खंड-III में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाएगी । Copies of original documents defining the constitution or legal status, place of registration, and principal place of business; written power of attorney of the signatory of the Bid to commit the Bidder. Additional information as sought in the Form-1 General Information, Section-III shall be provided;
- b) खंड 3.2 ए (बी) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्य अनुभव प्रपत्र-3 कार्य अनुभव अभिलेख, खंड-III में प्रस्तुत किया जाएगा। दर्शाए गए कार्य अनुभव के साथ संबंधित कार्य के प्रभारी अभियंता/परियोजना प्रमुख से प्राप्त प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जाने चाहिए। निजी संगठनों के लिए कार्य करने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के मामले में, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र/फॉर्म 26एएस/वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) भी प्रस्तुत करना होगा। / Work experience to demonstrate meeting the criteria stipulated in clause 3.2 A (b) shall be provided in Form -3 work experiences record, Section-III. The work experience shown shall be supported with certificate(s) from the Engineer-in-charge/Project head of the concerned work. In case of experience certificates produced by the contractors for having executed works for Private Organizations, TDS Certificates / Form 26AS / Annual Information Statement (AIS) shall also be produced along with experience certificate.
- c) खंड 3.2ए (ए) में निर्धारित वित्तीय मानदंडों की जानकारी फॉर्म-4, वार्षिक निर्माण कारोबार, खंड-III में प्रस्तुत की जाएगी। पिछले 3 (तीन) वर्षों के वार्षिक निर्माण कारोबार का उल्लेख करते हुए सीए के हलफनामे/प्रमाणपत्र की प्रति। बोलीदाता द्वारा वित्तीय मानदंडों को पूरा करने की पुष्टि के लिए, पिछले तीन वर्षों की मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट या वित्तीय विवरण, जैसे बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, प्रस्तुत की जानी चाहिए। सीए प्रमाणपत्र पर राजपत्र अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/192/2019 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) अंकित होनी चाहिए। / Information on financial criteria stipulated in clause 3.2A (a) shall be furnished in Form -4, Annual construction

turnover, Section-III. Copy of affidavit/Certificate of CA mentioning Annual construction Turnover of last 3 (three) years. Printed Annual reports or financial statements of the Bidder, such as balance sheet, profit and loss statements and auditor's reports as the case may be for the past three years shall be submitted to ascertain bidder's meeting the financial criteria. The CA Certificate should have the Unique Document Identification Number (UDIN) as per Gazette Notification No. 1-CA(7)/192/2019 dated 02.08.2019.

d) ~~प्रस्तावित कार्यग्रामाली (अनुसूची जी अलग शीट में) और निर्माण कार्यक्रम (अनुसूची ई में), उपकरण नियोजन और तैनाती (अनुसूची एफ में) के साथ, व्यापक गणनाओं के साथ विधिवत समर्थित, तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार और पूरा होने की निर्धारित अवधि के भीतर कार्य के निष्पादन और पूरा करने की उनकी क्षमता को उचित ठहराते हुए। / The proposed methodology (Schedule G in separate sheets) and programme of construction (in Schedule E), backed with equipment planning and deployment (in Schedule F), duly supported with broad calculations, justifying their capability of execution and completion of the work as per technical specifications and within the stipulated period of completion.~~

3.2 A अनुबंध प्रदान करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक बोलीदाता के पास यह होना चाहिए / To qualify for award of the Contract, each bidder should have:

a) पिछले तीन वर्षों में किसी एक वर्ष में न्यूनतम वार्षिक निर्माण कारोबार कम से कम उस कार्य की अनुमानित लागत के बराबर प्राप्त किया गया हो जिसके लिए बोली आमंत्रित की गई है। / Achieved in any one year in last three year a minimum Annual construction turnover of at least equivalent to the estimated cost of works for which bid has been invited.

b) आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले माह के पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले सात वर्षों में, कम से कम एक समान कार्य जिसकी लागत कार्य की अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो या दो समान कार्य जिसकी लागत कार्य की अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम न हो या तीन समान कार्य जिसकी लागत कार्य की अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम न हो। / Satisfactorily completed, in last seven years ending on last day of month previous to one in which applications are invited, at least one similar work costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost of work or two similar works costing not less than the amount equal to 50% of estimated cost of work or three similar works not less than the amount equal to 40% of the estimated cost of works.

समान कार्य की लागत निकालने के लिए, निष्पादित कार्य के मूल्य को लाया जाएगा कार्य के वास्तविक मूल्य को सात की साधारण दर से बढ़ाकर वर्तमान लागत स्तर प्रति वर्ष प्रतिशत, पूरा होने की तारीख से बोली खुलने की तारीख तक गणना की जाती है। / For arriving at the cost of similar work, the value of work executed shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate of seven percent per annum, calculated from the date of completion to the date of bid opening.

कार्य की समानता भौतिक आकार, जटिलता, विधियोंप्रौद्योगिकी और/या वर्णित अन्य विशेषताओं और कार्यों के दायरे / के आधार पर पूर्व-परिभाषित की जाएगी। इस संबंध में बोलीदाताओं द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे 'लेटर ऑफ अवार्ड' और 'समाप्त ग्रन्ति' पत्र पूर्ण होने की तारीख और कुल निष्पादित राशि का उल्लेख के साथ (' की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा की जानी चाहिए। / The similarity of work shall be pre-defined based on

the physical size, complexity, methods/ technology and/ or other characteristics described, and scope of works.

Self attested copies of relevant documents such as 'Letter of Award' and 'Completion certificate (with mentioning date of completion and total work executed amount)' should be submitted by the bidders in this regard.

समान कार्य की परिभाषा का अर्थ है “Construction of Building/Boundary Wall/ Protection Wall”

Definition of similar work means “Construction of Building/Boundary Wall/ Protection Wall”

3.2 B प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली के साथ यह भी प्रस्तुत करना होगा / Each bidder must also submit with their Bid:

- i) पैन, जीएसटी पंजीकरण संख्या, ईपीएफ पंजीकरण संख्या और ईएसआईसी पंजीकरण संख्या की प्रतियां (जैसा लागू हो) । / Copies of PAN, GST Registration No., EPF Registration No. and ESIC Registration No. (As applicable).
- ii) फॉर्म5-, घोषणा प्रपत्र, खंड-III में एक घोषणा कि बोली दस्तावेजों के साथ दी गई जानकारी सभी प्रकार से सही है। / A declaration that the information furnished with the bid documents is correct in all respects in form-5, form of declaration, Section-III.
- iii) आईटीबी में परिभाषित ऐसे अन्य प्रमाणपत्र, यदि कोई हों। / Such other certificates if any as defined in the ITB.
- iv) बोली लगाने वाले को लेटर पैड पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि ठेकेदार एनएचपीसी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपने सभी अधिकारों, देनदारियों या दायित्वों के किसी भी हिस्से को आवंटित, उपठेके पर नहीं दे-किराए या उप-गा। / A certificate on letter pad shall be submitted by the bidder to the effect that the contractor shall not assign, sub-let or sub-contract all or any part of its rights, liabilities, or obligations to be performed without NHPC's prior written permission.

V) क्रमांक 3.2 (I) के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों और स्थानीय स्थिति की पात्र (पीएएफ)ता का दावा करने के लिए बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्यप्रमाण पत्र इस/ प्रकार हैं :-

परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के लिए

प्रासंगिक दस्तावेज जिसे तीस्ता-V पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड में उपलब्ध पीएएफ की सूची से सत्यापन के बाद ही मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

स्थानीय लोगों के लिए

पूर्वी सिक्किम के निवासी	सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र (सीओआई) / सिक्किम विषय प्रमाण पत्र (एसएससी) की प्रमाणित प्रति। सिक्किम के आवासीय पते और बोलीदाता के उल्लेख।
दक्षिण सिक्किम के निवासी	
उत्तरी सिक्किम के निवासी	

To claim the eligibility of Project Affected Families (PAF) and Locals status as per Sl. No. 3.2 (I), documentary evidence/certificates to be submitted by the bidder are as follows:-

For Project Affected Families (PAF)

Relevant Document which shall be considered for evaluation only after verification from List of PAF as available in Teesta-V Power Station, NHPC Ltd.

For Locals

Residents of East Sikkim

Attested copy of Certificate of Identification (COI)/Sikkim Subject Certificate (SSC) issued by Govt. of Sikkim mentioning residential address and photo of the bidder.

Residents of South Sikkim

Residents of North Sikkim

3.2 C निविदा आमंत्रण सूचना में जिन अनुबंधों के लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं, उनके लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, बोलीदाता को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसके पास कार्य अनुभव, वित्तीय क्षमता और संसाधन हैं जो समग्र योग्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। खंड 3.1 और 3.2(ए) एवं (बी) में दिए गए प्रमाण पत्र और दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर बोली अप्रतिक्रियाशील मानी जाएगी। / To qualify for Contract for which bids are invited in the Notice Inviting Tender, the bidder must demonstrate having work experience, financial capability and resources sufficient to meet the aggregate of the qualifying criteria. Failure to produce the certificates and documents in clauses 3.1 and 3.2(A) & (B) shall make the bid non-responsive.

3.2 D संयुक्त उद्यम या एकल बोलीदाता के अलावा किसी अन्य व्यवस्था की अनुमति नहीं है। प्रस्तावित उप-ठेकेदार के अनुभव और संसाधनों, यदि कोई हो, को बोलीदाता द्वारा योग्यता मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। हालाँकि, बोली लगाने वाले के उप-ठेकेदार के रूप में प्राप्त अनुभव पर विचार किया जाएगा यदि परियोजना डेवलपर द्वारा अनुमोदित किया गया हो। कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम के सदस्य के रूप में बोली लगाने वाले के अनुभव को कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम के सदस्य के विरुद्ध कार्य के वितरण के अनुसार माना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कंसोर्टियम/जेवी सदस्यों का वितरण कंसोर्टियम/जेवी समझौते में निर्दिष्ट नहीं है, तो यूनिटम 35% पार्टनरशिप हिस्सेदारी के साथ जेवी के सभी सदस्यों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा। / JVs or any other arrangement other than sole bidder is not allowed. Experience and resources of proposed sub-contractor, if any shall not be taken into account in determining the bidder's compliance with the qualifying criteria. However, experience of bidder as sub-contractor approved by Project developer shall be considered. Experience of bidders as member of Consortium/Joint Venture shall be considered as per distribution of work against the member of the Consortium/Joint Venture. In case where distribution of Consortium/JV members is not specified in Consortium/JV agreement then the experience credential shall be considered for all members of JV with minimum 35% participation share.

3.2 E राजपत्र अधिसूचना- जीएसआर 127(ई) दिनांक 19.02.2019 या समय-समय पर संशोधित के अनुसार परिभाषा के अंतर्गत आने वाले समान प्रकृति के कार्य के लिए पंजीकृत सभी स्टार्टअप (चाहे एमएसई हों या अन्य) को पैरा 3.2 ए के अनुसार पूर्व अनुभव-पूर्व टर्नओवर के संबंध में योग्यता मानदंड को पूरा करने से छूट दी गई है, बशर्ते कि वे गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देश को पूरा करते हों। हालाँकि, नियोक्ता सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा संचालन और उपकरणों आदि से संबंधित वस्तुओं की खरीद जैसी परिस्थितियों के मामले में स्टार्टअप को ऐसी छूट देने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। /

All Start ups (whether MSEs or otherwise) registered for similar nature of work falling within the definition as per Gazette notification- GSR 127(E) dated 19.02.2019 or as amended from time to time are exempted from meeting the qualification criteria in respect of Prior Experience-Prior Turnover as per para 3.2 A subject to their meeting the quality and technical specification. However, the Employer reserves the right to deny such exemptions to Start ups in case of circumstances like procurement of items related to public safety, health, critical security operations and equipments, etc.

This provision for Start-ups is only applicable to the bidder subject to that, the bidder shall be from the entities listed at Sl. No. 3.2 (I) (c) (i).

3.2 F दिवालियापन / Insolvency

वह बोली लगाने वाला जिसके खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन को दिवाला और दिवालियापन संहिता समय पर संशोधित निर्णय प्राधिकारी द्वारा -के तहत या समय 2016 स्वीकार कर लिया गया है, बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होगा। यह उस बोलीदाता कंपनी पर भी लागू होगा जिसने अपनी मूलया वित्तीय सहायता ली है/होल्डिंग कंपनी से बिना शर्त तकनीकी और/, जिसके खिलाफ दिवालियापन और दिवालियापन 2016, या समय (2016 इसके बाद आईबीसी) समय पर संशोधित-संहिता के तहत निर्णयिक प्राधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन स्वीकार किया गया है। ।

ऐसे मामले में, जिस बोलीदाता के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई आवेदन बोली जमा करने के समय स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन बाद में बोलियों के मूल्यांकन की अवधि के दौरान या काम दिए जाने से पहले किसी भी समय, ऐसे किसी भी आवेदन को स्वीकार किया जाता है। आईबीसी के तहत निर्णयिक प्र 2016 अधिकरण, बोली लगाने वाले को अयोग्य माना जाएगा और उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी।

एक वचनपत्र कि के तहत बोली लगाने वाले के खिलाफ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा कोई 2016 आईबीसी" बोली लगाने वाले के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा "दिवालिया कार्यवाही स्वीकार नहीं की जाती है। विधिवत हस्ताक्षरित लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, बोली लगाने वाले को काम सौंपे जाने के समय तक बोली जमा करने के बाद, बोली लगाने वाले के खिलाफ आईबीसी के तहत निर्णयिक प्राधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए 2016 किसी भीआवेदन के प्रवेश के बारे में एनएचपीसी को सूचित करना होगा और इस तरह के किसी भी तथ्य को दबाने पर बोली लगाने वाला उत्तरदायी होगा। उसकी बोली को अस्वीकार करने और बोली दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों के अनुसार व्यापारिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के लिए।

The Bidder against whom an application for initiating corporate insolvency resolution process has been admitted by the Adjudicating Authority under the Insolvency and Bankruptcy code 2016 or as amended from time to time shall not be eligible for bidding. The same shall also be applicable to the bidder company who has taken unconditional technical and/or financial support from their Parent/ Holding Company, against whom an application for initiating corporate insolvency resolution process has been admitted by the Adjudicating Authority under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, or as amended from time to time (IBC 2016 hereafter).

In case, bidder in respect of whom any application for initiating corporate insolvency resolution process was not admitted at the time of submission of bid but subsequently during the period of evaluation of bids or any time before the work is awarded, any such application is admitted by the Adjudicating Authority under the IBC 2016, the bidder shall be considered as ineligible and his bid shall be rejected.

An undertaking that "no insolvency proceedings is admitted by the Adjudicating Authority against bidder under the IBC 2016" shall be submitted on letter head duly signed by the authorized representative of bidder.

Further, the bidder after submitting the bid till the time of award of work, shall inform NHPC regarding any admission of application for corporate insolvency resolution process by the Adjudicating Authority under the IBC 2016 against bidder and any suppression of such fact shall render the bidder liable for rejection of his bid and banning of business dealing as per terms and conditions of the Bid Document.

3.2G बोलीदाता द्वारा योग्यता मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करते समय उप-ठेकेदारों के अनुभव और संसाधनों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। / Sub-Contractors' experience and resources shall not be taken into account in determining the bidder's compliance with the qualifying criteria.

3.2H परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) और स्थानीय लोगों को, जैसा कि 3.2 (आई) में परिभाषित किया गया है, 10.0 लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक के कार्यों के लिए पूर्व अनुभव पूर्व कारोबार के संबंध में योग्यता मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई है। / The Project Affected Families (PAFs) and Locals as defined at 3.2 (I) are exempted from meeting the qualification criteria in respect of Prior Experience Prior Turnover for works up to financial limit of Rs. 10.0 Lakh.

3.2 I **A. परियोजना प्रभावित परिवारों की परिभाषाएं / Definitions of Project affected families (PAFs):**

परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की परिभाषा "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार" और बाद में संशोधन, यदि कोई हो, में प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार होगी।

एनएचपीसी के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की परिभाषा नीचे दी गई है::

The definition of Project affected families (PAFs) shall be as per definition provided in the "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" and subsequent amendments, if any.

The definition of Project affected families (PAFs) in relation to land acquired for NHPC is as below:

- (i) एक परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा तीस्ता-V पावर स्टेशन प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई है। / a family whose land or other immovable property has been acquired by NHPC Limited for Teesta-V Power Station Purpose.
- (ii) एक परिवार के परिवार के लिए जमीन, ऐसे परिवार के सदस्य या किसान खेत में काम करने वालों में अन्य प्रकार की सुविधाएं या सूदखोरी का अधिकार भी शामिल हो सकता है, वे हैं, वे हैं; / a family which does not own any land but a member or members of such family may be agricultural labourers, tenants including any form of tenancy or holding of usufruct right, share-croppers or artisans or who may be working in the affected are for three years prior to the acquisition of the land, whose primary source of livelihood stand affected by the acquisition of land;
- (iii) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने भूमि के अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन

अधिकार को खो दिया है; / the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 due to acquisition of land;

- (iv) परिवार जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि अधिग्रहण से पहले तीन साल तक वनों या जल निकायों पर निर्भर है और इसमें वन उपज, शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल हैं और ऐसी आजीविका भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होती है; / family whose primary source of livelihood for three years prior to acquisition of land is dependent on forests or water bodies and includes gatherers of forest produce, hunters, fisher folk and boatman and such livelihood is affected due to acquisition of land;
- (v) परिवार का एक सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि आवंटित की गई है और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन है; / a member of the family who has been assigned land by the State Government or the Central Government under any of its schemes and such land is under acquisitions;
- (vi) शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर रहने वाला परिवार भूमि के अधिग्रहण से पहले तीन साल या उससे अधिक समय तक रहता है या जिसकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से तीन साल पहले ऐसी भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित होता है। / a family residing on any land in the urban areas for preceding three years or more prior to the acquisition of the land or whose primary source of livelihood for three years prior to the acquisition of the land is affected by the acquisition of such land.

B. स्थानीय लोगों की परिभाषाएं / Definitions of Locals:

“तीस्ता-V पावर स्टेशन के पास रहने वाले पीएफ और स्थानीय लोगों को स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए जाने वाले कार्यों के आरक्षण के लिए नीति के तहत पात्र स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने की भौगोलिक सीमा सिक्किम के पूर्व, उत्तर और दक्षिण जिले होंगे।

“The geographical limits for defining the local residents eligible under the policy for reservation of works to be awarded on Local Competitive Bidding Basis to PAFs and Locals residing near to Teesta-V Power Station shall be East, North & South Districts of Sikkim.”

किसी एक इकाई को किसी भी समय दिए जाने वाले कार्यों और सेवाओं का मूल्य 125.00 लाख (एक सौ पच्चीस लाख रुपये) तक सीमित होगा।

The value of works and services to be awarded to any single entity at any point of time shall be limited to Rs. 125 Lakhs (Rupees One Hundred Twenty Five Lac).

C. आरक्षण के लिए कौन पात्र हैं?/Who are eligible for reservation?

(i) परियोजना प्रभावित परिवारों, व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के रूप में लोगों के समूह/कंपनियां (जिनके 100% लाभार्थी परियोजना प्रभावित परिवारों/स्थानीय लोगों की श्रेणी से हों) को ही अधिसूचित क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा आरक्षित कार्यों/सेवाओं के लिए नीति के तहत विचार किया जाएगा।।।

निविदाओं में भाग लेने के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की पात्रता पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के परिवार को दिए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। व्यक्ति, उसके परिवार के साथ-साथ कानूनी उत्तराधिकारियों को एकल परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। गलत घोषणा के मामले में, संबंधित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को छह महीने के लिए निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

PAFs, Individuals, Partnership firms, Group of people in the form of Cooperative societies/Self Help Groups (SHGs) /Companies (having 100% beneficiaries from the category of PAF/Locals) by Locals from the notified area will only be considered under policy for award of the reserved works/services

The eligibility of PAF to Participate in the tenders shall be considered taking into account the work awarded to PAF's family as a whole. The person, his family along with legal heirs shall be considered as single PAF. Declaration in this regard shall be provided by the PAF. In case of false declaration, the concerned PAF shall be debarred from participation of tenders for six months

(ii) सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश-2017, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंध, सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा स्टार्टअप्स के संबंध में समय-समय पर संशोधित प्रावधान इस नीति के लिए लागू होंगे। एमएसएमई/स्टार्टअप्स के मालिक उपरोक्त क्रमांक सी (i) में उल्लिखित संस्थाओं से होंगे।

The provision regarding Public Procurement (Preference to Make in India) Order-2017, Restrictions under Rule 144 (xi) of the General Financial Rule (GFRs) 2017, Micro and Small Enterprises and Startups as amended from time to time shall be applicable for this policy. The owner of MSMEs/Startups shall from the entities mentioned at Sl. No. C (i) above.

D. एक समय में एक ही इकाई को चार से अधिक कार्य/सेवाएं आवंटित/प्रदान नहीं की जाएंगी।

At a time not more than four works/ services shall be allotted/ awarded to the same entity.

3.3 अयोग्यता / Disqualification:

भले ही बोलीदाता उपरोक्त योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों, यदि उनके पास निम्नलिखित हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है :

Even though the bidders meet the above qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have:

- (i). योग्यता आवश्यकताओं के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत प्रपत्रों, कथनों, शपथपत्रों, घोषणाओं और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन किया हो; और/या, / made misleading or false representations in the forms, statements, affidavits, declarations and attachments submitted in proof of the qualification requirements; and/or,
- (ii). उसी कार्य के लिए पिछली बोली में भाग लिया और एल-1 पाया और असामान्य रूप से उच्च या निम्न बोली मूल्य उद्धृत किया और नियोक्ता को इसके लिए तर्कसंगत औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सका, / participated in the previous bidding for the same work & found L-1 and had quoted abnormally high or low bid prices and could not furnish rational justification for it to the Employer,
- (iii). जिन बोलीदाताओं का अनुबंध अतीत में नियोक्ता द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है, उन्हें अयोग्यता अवधि पूरी होने तक बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में बोली को गैर प्रतिक्रियाशील माना जाएगा। / The Bidders whose contract(s) have been terminated due to unsatisfactory performance by employer in past, shall not be allowed to participate in the bidding process till completion of the ineligibility period. In such case the bid shall be considered as non responsive.

4.0 समापन का समय / Time for Completion

सफल बोलीदाता को संपूर्ण कार्य क्रम संख्या-1 में निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करना होगा, जिसकी गणना नियोक्ता द्वारा जारी स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि से की जाएगी। / The successful bidder shall complete the entire work within the time specified at SI no. -1, to be reckoned from the date of issue of Letter of Acceptance issued by the Employer.

5.0 निविदा के साथ तालिका में कार्य के लिए निर्दिष्ट राशि की बयाना राशि भी संलग्न होनी चाहिए। / Tenders must be accompanied by the earnest money of the amount specified for the work in the table.

6.0 बोली-पूर्व बैठक / Pre-Bid Meeting

a) यदि आवश्यक हो, तो सभी संभावित बोलीदाताओं के लिए खुली एक बोली पूर्व बैठक क्रम संख्या -1 के अनुसार शैल, तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें कार्य और बोली की शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। / If required, a Pre-Bid meeting open to all the prospective Bidder(s) will be held at venue, date and time as per SI. No. 1 wherein they shall be given an opportunity to obtain clarifications, if any, regarding the work and Bid conditions.

b) संभावित बोलीदाता, यदि कोई हो, तो अपनी शंकाएं, बोली पूर्व बैठक से कम से कम 03 दिन पहले ईमेल/कूरियर/एनआईटी के पैरा 1 (ए) (ix) में दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि बैठक के दौरान उनका उत्तर दिया जा सके। / Prospective Bidder(s) may submit their queries, if any, by email/ courier/ at address stated at Para 1(A)(ix) of NIT at least 03 days before the pre-Bid meeting so that the same can be replied during the meeting.

7.0 बोली प्रस्तुत करना / Bid submission

i) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की तकनीकी बोली (कवर-1) (अनुभागII) यानी आईटीबी देखें और मूल्य बोली (-कवर) II) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप. सभी प्रकार से पूर्ण होकर क्रमांक नंबर 1 (के अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय से पहले उपरोक्त पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। / Online Bid Submission – Technical Bid (Cover-I) (Refer Section- II i.e. ITB) and Price Bid (Cover-II) electronic format) complete in all respect must be uploaded at the aforesaid portal before the specified date & time as per SI. No. 1.

ii) ऑफलाइन बोली जमा करना – अनुभाग II यानी आईटीबी देखें सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए (क्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक सीलबंद लिफाफे में पते पर भेजें। क्रमांक नंबर बोली जमा करने के लिए निर्दिष्ट तिथि या 1 संशोधन यदि कोई हो तो नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित होने की स्थिति में, दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अगले कार्य दिवस पर निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार, बोली खोलने के लिए निर्दिष्ट तिथि या संशोधन, यदि कोई हो, की स्थिति में नियोक्ता के लिए छुट्टी घोषित होने पर, अगले कार्य दिवस पर निर्दिष्ट समय पर बोली खोली जाएगी। हालाँकि, बोलियाँ ऑनलाइन जमा करने की तिथि और समय निर्दिष्ट तिथि और समय या संशोधन, यदि कोई हो, जारी रहेगा। / Offline Bid Submission (Refer Section- II i.e ITB) complete in all respect must be delivered in sealed envelopes to the address, up to the specified date & time as per SI. No. 1 In the event of the specified date or amendment if any for the submission of bids being declared a holiday for the Employer, the hard copy of the documents will be received up to the specified time on the next working day. Similarly, in the event of the specified date or amendment if any for the opening of bids being declared a holiday for the Employer, the opening shall be carried out at the specified time on the next working day. However, the date and time for online submission of the Bids shall continue to be the date and time specified or amendment if any.

8.0 बोली के लिए मुद्रा केवल भारतीय रुपया होगी। / The currency for the Bid shall be Indian Rupee only.

9.0 बोलियाँ बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद क्रम संख्या 1 में उल्लिखित अवधि के लिए मान्य होंगी। यदि कोई बोलीदाता उक्त अवधि से पहले अपनी बोली वापस लेता है या अपनी बोली में कोई संशोधन करता है, तो बोलीदाता की अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी। बोली की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले, नियोक्ता बोलीदाताओं से बोली की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में की जानी चाहिए। बोली की वैधता अवधि बढ़ाने से बोलीदाता को अपनी बोली में संशोधन करने का अधिकार नहीं मिलेगा। यदि बोलीदाता नियोक्ता के अनुरोध पर बोली की वैधता अवधि बढ़ाने में विफल रहता है, तो संबंधित बोली को गैर-उत्तरदायी मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा। / Bids shall be valid for a period as mentioned in Sl no. 1 after the deadline for Bid submission. If any Bidder withdraws his Bid before the said period or makes any modification in his Bid, the Earnest Money deposit of the Bidder shall be forfeited. Prior to the expiry of bid validity period, Employer may request Bidders to extend the Bid validity period. The request and the response shall be made in writing. An extension of the bid validity period will not entitle a Bidder to modify its Bid. In case Bidder fails to extend the bid validity upon employer's request, the corresponding Bid shall be rejected as being non-responsive.

10.0 तकनीकी-व्यावसायिक बोली क्रम संख्या-1 के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन खोली जाएगी। तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलने का समय और तिथि तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद पोर्टल के माध्यम से बाद में सूचित की जाएगी। नियोक्ता/निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी अपने विवेकानुसार तकनीकी और वित्तीय बोलियों को एक साथ खोल सकता है और बोली का पूर्ण मूल्यांकन कर सकता है। / The Techno-commercial Bid shall be opened online at venue date & time as per Sl. No.-1. The time and date of opening of Financial Bid of bidders qualified the technical bid shall be communicated through portal at later date after evaluations of technical bids. The Employer/Tender inviting Authority at his discretion may open Technical and Financial Bid simultaneously and evaluate the Bid completely.

11.0 नियोक्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर, संवेदनशील क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं में भाग लेने वाली विदेशी कंपनियों और उनके कर्मचारियों पर किसी भी रूप में कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। नियोक्ता को ऐसी कंपनी की योग्यता निर्धारित करने से पहले सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No. 6/18/2019/PPD दिनांक 23.07.2020 और 24.07.2020 का अनुपालन करना होगा। / The Employer may impose certain restrictions on the foreign companies participating in any form and their employees in view of the National Security, in the Project situated in the sensitive region and border areas. The Employer shall obtain clearance of Govt. of India regarding security implications prior to qualification of such company. Further, bidders from countries which share land border with India shall comply with Department of Expenditure, Ministry of Finance, GoI, OM No. F.No. 6/18/2019/PPD dt. 23.07.2020 & 24.07.2020.

12.0 बोलियां जमा करने के लिए कोई भी शुद्धिपत्र, बाद के संशोधन औरया तारीख का विस्तार/, यदि कोई हो, पोर्टल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर पोस्ट किया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोलियां जमा करने की समय सीमा से पहले नियमित रूप से पोर्टल पर जाएं। / Any corrigendum, subsequent amendments and / or extension of date, if any, for submission of Bids shall be posted on the portal <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. Bidder(s) are advised to visit the portal regularly before the deadline for submission of Bids.

13.0 नियोक्ता के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध के पुरस्कार से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे प्रभावित बोली लगाने वाले या बोली लगाने वालों के प्रति कोई दायित्व नहीं आएगा। हालाँकि, बोली लगाने वाले जो रद्दीकरणअस्वीकृति के ऐसे निर्णय के लिए कारण जानना / चाहते हैं, उन्हें नियोक्ता द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी, जब तक कि इसके प्रकारीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या राज्य का आर्थिक हित या किसी अपराध को भड़काने का कारण प्रभावित होने की उम्मीद न की जाए। / The employer reserves the right to accept or reject any Bid and to cancel the Bidding process and reject all Bids, at any time prior to the award of Contract, without thereby incurring any liability to the affected Bidder or Bidder(s). However, the Bidder(s) who wish to seek reasons for such decision of cancellation/rejection shall be informed of the same by Employer unless its disclosure reasonably could be expected to affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state or lead to incitement of an offence.

14.0 अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों के बीच किसी भी अंतर के मामले में, 'निविदा आमंत्रण सूचना' का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। / In case of any difference between wordings of English and Hindi, version of 'Notice Inviting Tender', English version shall prevail.

15.0 सभी ऑफलाइन दस्तावेज़ उप. महाप्रबंधक (विद्युत), प्रापण और संविदा विभाग, तीस्ता -V पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, बालूतार, पीओ-सिंगतम, पूर्वी सिक्किम, पिन: 737134 के कार्यालय में **12.01.2026 तक 16:30 बजे** तक पहुंच जाना चाहिए। बलूतार क्षेत्र में कोई विश्वसनीय कूरियर सेवा उपलब्ध नहीं है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी डाक विलंब से बचने के लिए अपनी ऑफलाइन बोलियां स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से बहुत पहले ही भेज दें। गैर-प्राप्ति/देर से प्राप्ति या निविदा के पारगमन में हानि के संबंध में किसी भी उत्खनन पर विचार नहीं किया जाएगा और निविदा दस्तावेज में निहित विभिन्न प्रावधानों से निपटा जाएगा। / All offline documents shall reach in the office of Dy. General Manager (Electrical), Contract Division, Teesta - V Power Station, NHPC Ltd., Balutar, PO- Singtam, East Sikkim, Pin : 737134 latest by **12/01/2025 at 16:30 Hrs.** No reliable courier service is available in the Balutar area. Bidders are advised to send their offline bids through speed post/registered post well in advance to avoid any postal delay. Any querry regarding non-receipt/late receipt or loss in transit of tender shall not be entertained & shall be dealt with various provisions contained in tender document.

16.0 सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय / COURT OF COMPETENT JURISDICTION: अनुबंध की किसी भी शर्त पर की गई कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही केवल माननीय उच्च न्यायालय सिविकम के अधिकार क्षेत्र में होगी। / Any legal action taken or proceeding initiated on any of the terms of the contract shall be only in the jurisdiction of Hon'ble High Court of Sikkim.

(For and on behalf of NHPC Ltd.)
(एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से और इसके लिए)

DGM (Electrical)/ उप. महाप्रबंधक (विद्युत),
Contract Division/ संविदा विभाग,
Teesta-V Power Station/ तीस्ता पंचम पावर स्टेशन

Email/ ईमेल-: teestav-contract@nhpc.nic.in
Mob: - 9469801514